प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य साइबर क्राइम सैल जनपद एटा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदयशंकर सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा श्री विनोद कुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर सैल एटा द्वारा आनलाइन ठगी का शिकार हुए शिकायतकर्ता श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री नेतसिंह नि0 कुरीना दौतलपुर थाना रिजोर जनपद एटा ने प्रार्थना के माध्यम से अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के खाते से किसी अज्ञात ने 99999 रूपये का फ्राड कर लिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा द्वारा साइबर सेल की टीम को प्रकरण की जांच कर शिकायतकर्ता की समुचित मदद करने हेतु निर्देशित किया गया। साइबर सैल एटा द्वारा मामले की गंभीरता से जांचकर त्वरित व लाभप्रद कार्यवाही करते हुए तथा सम्बन्धित बैंक/गेट-वे को ई-मेल करते हुये शिकायतकर्ता की 99999 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि को पीडित के बैंक खाते में वापस कराया गया है। अपने पैसे वापस पाकर शिकायतकर्ता द्वारा एटा पुलिस को धन्यवाद देते हुए भूरि भूरि प्रशंसा की गई है।

साइबर क्राइम सैल टीम जनपद एटा

1. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार
2. आरक्षी अजयपाल सिंह
3. आरक्षी अर्जुन सिंह

साइबर सैल एटा द्वारा साइबर ठगी से बचने हेतु आमजन को संदेश

---

01 - किसी भी कम्पनी का कस्टमर केयर नम्बर उस कम्पनी के आधिकारिक वेवसाइट से ही प्राप्त करें क्योकि आजकल साइबर ठगों द्वारा अपने नम्बरों को विभिन्न आनलाइन कम्पनियों के कस्टमर केयर के नाम से गूगल पर अपडेट किया गया है।

02 - कोई भी बैंक अधिकारी फोन पर कभी भी आपसे एटीएम खाते क्रेडिट कार्ड अन्य से सम्बन्धित जानकारी नहीं मांगता इसलिए कभी भी फोन काल पर अपने बैंक से सम्बन्धित जानकारी शेयर ना करें ।

03 - किसी भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेते/देते समय यह अवश्य चेक करें कि क्यूआर कोड पेमेंट रिसीव करने वाला है।

04 - किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम होने पर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

05 - खाते में KYC अपडेट कराने के लिये बैकों द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी/OTP/CVV/पिन नम्बर नही मांगे जाते है।

06 - ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों व सरकारी विभाग/कम्पनियों के कस्टमर केयर का नम्बर आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करे।